निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 210/2020 तारीख दायरा 04.11.2020

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र मन्नालाल उर्फ मदनलाल उम्र 55 वर्ष जाति मीणा।
2. सियाराम पुत्र मन्नालाल उर्फ मदनलाल उम्र 45 वर्ष जाति मीणा।
3. कौशल्या पुत्री मन्नालाल उर्फ मदनलाल उम्र 52 वर्ष जाति मीणा।
4. ललिता बाई पुत्री मन्नालाल उर्फ मदनलाल उम्र 50 वर्ष जाति मीणा।
5. ज्ञानबाई पुत्री मन्नालाल उर्फ मदनलाल उम्र 48 वर्ष जाति मीणा।
6. काली बाई पुत्री मन्नालाल उर्फ मदनलाल उम्र 43 वर्ष जाति मीणा।
7. केसरी बेवा मन्नालाल उर्फ मदनलाल उम्र 80 वर्ष जाति मीणा निवासीगण ग्राम गुरायता तहसील सांगोद हाल निवासी खटावदा तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. तोलाराम पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गुरायता हाल निवासी ग्राम खटावदा तहसील खानपुर जिला झालावाड।
2. बिरधीलाल पुत्र रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खटावदा।
3. हीरालाल पुत्र रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खटावदा तहसील खानपुर जिला झालावाड।
4. जानकीबाई पत्नी हेमराज जाति मीणा निवासी ग्राम गुरायता तह0 सांगोद।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादी) दिनॉक :– 21.01.2021

श्री अमित पांचाल (वकील प्रतिवादी)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के पिता मन्नालाल उर्फ मदनलाल व प्रतिवादी कम 1 ता 4 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्म की आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हलका अमृतकुआ तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 111 के खसरा नं0 161 की 4.26 हैक्टर आराजी स्थित है। जिसमें वादीगण के पिता स्व0 मदनलाल जी का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड किया हुआ है।

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात में वर्णित अनुसार वादीगण के पिता का 1/4 हिस्सा निहित है, वादीगण के पिता का स्वर्गवास दिनांक 18.08.2013 को हो गया था तथा वादग्रस्त आराजी में निहित मन्नालाल के 1/4 हिस्से के वादीगण ही विधिक वारिस है। जिससे वादीगण द्वारा पटवारी हलका के पास मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर मन्नालाल जी का इन्तकाल खुलवाने के लिए गए, तो पटवारी हलका के द्वारा वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में मन्नालाल के स्थान पर मदनलाल अंकित होने के कारण इन्तकाल खोलने [illegible] कर दिया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के पिता का वास्तविक [illegible] मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है, तथा वादीगण के पहचान के सभी दस्तावेजो में भी मन्नालाल [illegible] नाम अंकित है, मदनलाल वादीगण के पिता का बचपन का घर का नाम है, जो गलत अंकित किया हुआ है, वादीगण के पिता का

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

वास्तविक एवं प्रचलित नाम मन्नालाल रहा है। वादीगण द्वारा अपने सभी दस्तावेजो का हवाला देते हुए पटवारी हलका महोदय से दुबारा फिर इन्तकाल खोलने के लिए कहा, तो पटवारी हलका महोदय द्वारा माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहने से वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वादकरण अंतिम बार आज से एक माह पूर्व उत्पन्न हुआ, जब वादीगण द्वारा पटवारी हलका महोदय से दुबारा फिर इन्तकाल खोलने के लिए कहा, तो पटवारी हलका महोदय द्वारा माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि :–

वाद पत्र में वर्णित माल ग्राम गुरायता पटवार हलका अमृतकुंआ तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 111 के खसरा नं0 161 की 4.26 हैक्टर कुल 1 किता की 4.26 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण के पिता का बचपन का नाम मदनलाल के स्थान पर मन्नालाल संशोधित करते हुए वादीगण मन्नालाल उर्फ मदनलाल के विधिक वारिस होने से वादीगण को उक्त आराजी के 1/4 हिस्सा आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर घोषणा की डिक्री पारित फरमायी जावें तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के सादर आदेश पारित फरमावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से वकील श्री अमित पांचाल द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। वादी अधिवक्ता ने ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद को स्वीकार करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के अवलोकन से मैंने [illegible] कार्ड, राशनकार्ड, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र, [illegible] तथा अन्य दस्तावेजात व पक्षकारों के अभिवचनों पर सूक्ष्मतम अवलोकन करने के उपरान्त मैं दावा वादी स्वीकार करना उचित समझती

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

हूँ। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम गुरायता पटवार हलका अमृतकुआं तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 111 के खसरा नं0 161 की 4.26 हैक्टर कुल 1 किता की 4.26 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण के पिता का बचपन का नाम मदनलाल के स्थान पर मन्नालाल संशोधित करते हुए वादीगण को उक्त आराजी के 1/4 हिस्सा आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण में वर्णित आराजी पर रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज बैंक का होने के कारण रहन यथावत रहेगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष के स्वयं के हिस्से तक रहन है तो निर्णय के पश्चात रहन उक्त व्यक्ति पर यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को खुले न्यायालय में लिख कर जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 210 / 2020 तारीख दायरा 04.11.2020

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र मन्नालाल उर्फ मदनलाल उम्र 55 वर्ष जाति मीणा।
2. सियाराम पुत्र मन्नालाल उर्फ मदनलाल उम्र 45 वर्ष जाति मीणा।
3. कौशल्या पुत्री मन्नालाल उर्फ मदनलाल उम्र 52 वर्ष जाति मीणा।
4. ललिता बाई पुत्री मन्नालाल उर्फ मदनलाल उम्र 50 वर्ष जाति मीणा।
5. ज्ञानबाई पुत्री मन्नालाल उर्फ मदनलाल उम्र 48 वर्ष जाति मीणा।
6. काली बाई पुत्री मन्नालाल उर्फ मदनलाल उम्र 43 वर्ष जाति मीणा।
7. केसरी बेवा मन्नालाल उर्फ मदनलाल उम्र 80 वर्ष जाति मीणा निवासीगण ग्राम गुरायता तहसील सांगोद हाल निवासी खटावदा तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. तोलाराम पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गुरायता हाल निवासी ग्राम खटावदा तहसील खानपुर जिला झालावाड।
2. बिरधीलाल पुत्र रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खटावदा।
3. हीरालाल पुत्र रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खटावदा तहसील खानपुर जिला झालावाड।
4. जानकीबाई पत्नी हेमराज जाति मीणा निवासी ग्राम गुरायता तह0 सांगोद।
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी. एक्ट 1955

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

उपस्थित :–

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादी) दिनॉक :– 21.01.2021

श्री अमित पांचाल (वकील प्रतिवादी)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री सुशील कुमार शर्मा मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम गुरायता पटवार हलका अमृतकुंआ तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 111 के खसरा नं0 161 की 4.26 हैक्टर कुल 1 किता की 4.26 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण के पिता का बचपन का नाम मदनलाल के स्थान पर मन्नालाल संशोधित करते हुए वादीगण को उक्त आराजी के 1/4 हिस्सा आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण में वर्णित आराजी पर रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज बैंक का होने के कारण रहन यथावत रहेगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष के स्वयं के हिस्से तक रहन है तो निर्णय के पश्चात रहन उक्त व्यक्ति पर यथावत रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद